**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 855**

**28 जुलाई, 2015 को उत्‍तर के लिए**

 **सेना के पास सामग्री की कमी**

**855. श्री नीरज शेखर:**

 **श्री अरविन्द कुमार सिंहः**

क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या नियंत्रक एवं लेखा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार सेना युद्ध सामग्री की भारी कमी का सामना कर रही है और 15-20 दिनों से अधिक युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आयुध कारखानों के, भारतीय सेना की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाएगी ?

**उत्‍तर**

**रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रीकर)**

(क) से (ग) : सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण गोला-बारूदों की कमी के बारे में प्राथमिकता के आधार पर विचार किया है और इस कमी को कम करके, प्रभावी कदम उठाए हैं ताकि एक गतिशील सामरिक परिदृश्य में खतरे की अवधारणा के अनुसार संक्रियात्मक तैयारी का अपेक्षित स्तर सुनिश्चित किया जा सके ।

 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार है । तथापि, कमियों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. वर्ष 2014-19 की अवधि के लिए द्वितीय पंचवर्षीय गोलाबारूद रोल-ऑन-इंडेट आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को प्रस्तुत किया गया है ।
2. गोलाबारूद पर एक रोडमैप अनुमोदित किया गया है जिसमें प्रशिक्षण आवश्यकता के अलावा पर्याप्त लक्षित स्टॉक निर्मित करने के लिए आयात एवं व्यापार से अधिप्राप्ति करने का विचार है ।
3. जटिल मदों की समीक्षा करने के लिए कार्य दल के रूप में एक संस्थागत तंत्र का गठन किया गया है ।
4. अधिक लागत सहित आवर्ती स्वरूप का वृहद वार्षिक प्रशिक्षण आवश्यकता वाले गोलाबारूद के स्वदेशी विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को सूचित किया गया है ।

**\*\*\*\*\***